विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 156 दिनांक : 19/9/17

प्रति,

प्राचार्य,
लोमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
रेल्वे स्टेशन के पीछे,नीलगंगा रोड़,उज्जैन।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में – संशोधित पत्र।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन क्रमांक/53,दिनांक 11.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/**सम्बद्धता–निरंतरता** प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें निर्णय लिया गया कि,लोक मान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय,उज्जैन में सत्र 2016–17 से एम.कॉम.एवं डी.व्हाय.एड.(डिप्लोमा इन योगिक विज्ञान)पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2016–17 से एम.कॉम.एवं डी.व्हाय.एड.(डिप्लोमा इन योगिक विज्ञान)पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016–17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/1058,दिनांक 09.08.2017 द्वारा प्रदान की गई थी जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.कॉम.	60
02.	डी.व्हाय.एड.(डिप्लोमा इन योग एज्यूकेशन)	30

शर्ते :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. पुस्तकालय में विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों की संख्या 25% वृद्धि की जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अवगत करावें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02